UPMZ010052122026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2976 सन 2026

श्रवण कुमार पुत्र महावीर
निवासी ग्राम कुटबा थाना शाहपुर,
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—520 सन 2013
धारा —147, 148, 149, 307, 336, 353, 352, 427 भारतीय दंड संहिता
एवं धारा 7 कि. लॉ एमेन्डमैंट एक्ट
थाना—शाहपुर
जनपद— मुजफ्फरनगर

19.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से शाहपुर के अपराध संख्या—520 सन 2013 धारा —147, 148, 149, 307, 336, 353, 352, 427 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 7 कि. लॉ एमेन्डमैंट एक्ट के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी में आवेदक/अभियुक्त की नामजदगी फर्जी दर्शायी गयी है जबकि घटना के समय कोई प्रकाश का स्रोत नहीं था जिस कारण घटना में अभियुक्तगण की नामजदगी फर्जी तरीके से की गयी है तथा प्राथमिकी सलाह मश्वरा उपरांत दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुई है जैसा अभियोजन का कथन है। घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट किसी प्रकार की नहीं आयी है और न ही कोई वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान कोई बरामदगी या किसी अभियुक्त से कोई हथियार या घटनास्थल से कोई खोखा कारतूस अथवा टिकली की बरामदगी

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.19 17:39:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

होना नहीं दर्शाया गया है जिस कारण आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व कोई धारा 307 भादंसं. का कोई अपराध नहीं बनता है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त सम्मानित परिवार का है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा सह अभियुक्तागण श्रीमती मुनेश उर्फ मुन्नी, श्रीमती कविता, श्रीमती रूबी, श्रीमती कौशल्या, श्रीमती सुदेश व श्रीमती संतोष उर्फ ओमवीरी की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र तथा सह अभियुक्तागण के संबंध में पारित जमानत आदेश की प्रति दाखिल की गयी है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा मूल पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :-

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्‌देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 31.10.2013 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रताप सिंह थाना शाहपुर मय अन्य पुलिसकर्मीगण को एसपीआरए श्री आलोक प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि विग हुए साम्प्रदायिक दंगो के संबंध में बुढाना सर्किल में पंजीकृत अभियोगों के वांछित अभियुक्तगण की गिरफतारी की जानी है जिनके संबंध में ग्राम कुटबा व कुटबी में दबिश दी जायेगी। अतः समस्त पुलिस दल एसपीआरए के निर्देशन में अपराध संख्या 429 सन 2013 मे वांछित चल रहे अभियुक्त पवन के मकान की ओर चला तो रास्ते में बुग्गी तिरछी खडी कर कटीले तार बांधकर रास्ता अवरूद्व कर दिया गया। उक्त बाधा को दूर करके पुलिस बल पवन के मकान पर पहुंचा और गेट खुलवाने के लिये खटखटाया और आवाज देकर कहा कि ुपलिस है। पवन की

पत्नी मुनेश उर्फ मुन्नी व विधवा बहन कौशल्या ने मकान की खिडकी खोलकर बदमाश बदमाश चिल्लाये और समस्त परिजन ने पुलिसपार्टी के उपर पथराव कर दिया। शोर सुनकर आसपास के मकानों के लोगों ने भी छतों पर चढकर पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव मे कई पुलिसकर्मियों को ईटें लगी। परंतु बॉडी प्रोटैक्टर व हैलमेट होने के कारण उन्हे चोटें नहीं आयी। परंतु पथराव में एसपीआरए का हमराह अरूण तौमर घायल हो गया। छत पर चढे मुल्जिमान पवन, मोहकम, श्रवण, छोटू, श्रीमती मुनेश उर्फ मुन्नी, कविता, बबली, कौशल्या, रामकुमार, राजकुमार, भूरा, पोपीन, श्रीमती रूबी व अन्य अज्ञात पुरूष व महिला जिन्हें टार्चो की रोशनी में पहचाना गया परंतु पथराव बंद नहीं किया गया। छतों पर चढने का कोई साधन न देख व बल प्रयोग की स्थिति में जनहानि की आशंका के दृष्टिगत पुलिसबल वापिस अपनी गाडियों पर आया। उसके बाद ग्राम कुटबा में ही तालाब व मस्जिद के निकट अन्य वांछित भालू, सोनू, सुरेश आदि के यहां दबिश दी गयी जो दस्तयाब नहीं हुए। जब पुलिसपार्टी समय करीब 23.30 बजे अपराध संख्या 425 सन 2013 के वांछित अभियुक्त कुंवरपाल के मकान पर आये तो पुलिस की गतिविधि को भांप पहले से ही मकानों कीछतों पर मोर्चा लिये महिला व पुरूषों ने शोर मचाते हुए पुलिसपार्टी पर छतों से भीष्ण पथराव व फायर करने शुरू कर दिये । पुलिस ने अपने आपको किसी तरह से सुरक्षित किया परंतु कुछ पुलिस वालों को ईटे लगी परंतु बॉडी प्रोटैक्टर व हैलमेट पहने होने के कारण चोटें नहीं आयी। परंतु एसआई सर्वेश कुमार के पैर में ईट लगने के कारण घायल हो गये। अभियुक्तगण कुंवरपाल, सुधीर, सुनील, पप्पू, रामपाल, ओमबीर, कपिल, श्रीमती संतोष, सुदेश, सचिन, कोमल व अन्य अज्ञात पुरूष व महिलाओं ने पथराव निरन्तर जारी रखा। जिन्हें टार्चो व ड्रेगन लाईट में पहचाना गया। जनहानि को देखते हुए समस्त पुलिसबल द्वारा अभियुक्तगण की गिरफतारी को स्थगित किया गया। इसके बाद जब पुलिसबल का काफिला ग्राम कुटबी में से समय करीब 23.50 बजे ग्राम कुटबा के मुख्य मार्ग पर स्थित मकान बिजेन्द्र के पास पहुंचा तो बिजेन्द्र, पंकज आदि ने तिरछी बुग्गी लगाकर रास्ते को अवरूद्व कर दिया। जिन्हें स्थानीय पुलिसकर्मियों ने अच्छी तरह से देखा व पहचाना। अभियुक्तगण मकानों की छतों पर शोर मचाते हुए चढ गये। रास्ते में बुग्गियां खडी होने के कारण पुलिस का काफिला रूक गया और बिजेन्द्र के मकान व उसके आसपास के मकानों की छतों पर पहले से ही मोर्चा संभाले पवन जाट व उसके समर्थकों ने पुलिस की गाडियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस बल ने अपना बचाव करते हुए मार्ग में खडी बुग्गियों को हटाकर रास्ता साफ कर पुलिस की गाडियों के काफिले को आगे निकाला गया। इस दौरान छतों पर खडे महिला व पुरूषों ने पुलिस की गाडियों पर निरन्तर पथराव जारी रखा जिसमें पुलिस की गाडिया क्षतिग्रस्त हुई।

6. अभियोजन कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व जान से मारने की नीयत से पुलिसबल पर ईट पत्थरों से हमला कर पुलिसकर्मियों को चोटें पहुंचाने और पुलिसबल की गाडियां क्षतिग्रस्त करने का आरोप बताया गया है।

तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा कथित पुलिसकर्मियों को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना नहीं बताया गया है बल्कि साधारण प्रकार की चोटें आना बताया गया है।

संबधित थाने की आख्या अनुसार आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **श्रवण कुमार पुत्र महावीर** को अंतर्गत अपराध संख्या–520 सन 2013 धारा–147, 148, 149, 307, 336, 353, 352, 427 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 7 कि. लॉ एमेन्डमैंट एक्ट थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास हजार– पचास हजार रूपये के दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः 19.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर